

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector - Almora

Dated---19/06/2017

No---

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.286 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department Uttarakhand / Executive Engineer, PMGSY Division, P.W.D. Salt (Almora) (name of user agency) for **Construction of Sanra-Malihati Motor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Almora** district falls within jurisdiction of **Malihari** villages in **Salt** tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.286** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexureto...annexure....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT - ALMORA (U.K.)**

**Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under
schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act
(FRA). 2006.**

A meeting of the district level committee of **Almora** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. *Savitri Bansal*, I.A.S., deputy commissioner, Almora on dated *19/6/17* at time *4:15 PM* at *Almora* in which application claiming rights in Jourashi range / area measuring **4.286** hect for the **Construction of Sanra to Malihari Motor Road (10.300 Km)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Bhikiyasain** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: *Almora*
Dated: *19.6.17*

[Signature]
**Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee**

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सनड़ा से मलिहारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिक्यासैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड भिक्यासैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत 0.480 है० वन पंचायत, 3.806 है० सिविल सोयम भूमि कुल 4.286 है० वन भूमि का, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति तहसील भिक्यासैण को दिनांक 16-3-14 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गोपालराम विनवाल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री गोपालराम विनवाल
2. श्री चन्दनगिरी गोस्वामी
3. श्री रबीमा जन्द बुडाकोटी
4. श्री अमी चन्दा देवी

उपजिलाधिकारी भिक्यासैण।

उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी सल्ट।

वी०डी०सी० क्षेत्र सनड़ा सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया है कि जनपद अल्मोड़ा में पी०एम०जी०एस०वाई० योजना के अन्तर्गत सनड़ा से मलिहारी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.286 है० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया है। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं त्रिसम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत सनड़ा से मलिहारी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.286 है० वन भूमि निर्माण खण्ड लो०नि०वि० सल्ट प्रयोक्ता एजेन्सी को जंगल में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी
भिक्यासैण।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी गढ़ोदय अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी
भिक्यासैण।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विकास खण्ड ~~समल~~ के अन्तर्गत राजस्व ग्राम में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम-2006 अन्तर्गत में आदिकालीन जनजाति समूह निवास नहीं करते हैं, और भूमि प्रभावित हो रही है।


सहायक सभासद कल्याण अधिकारी
सल (अल्मोड़ा)


खण्ड विकास अधिकारी
सल-अल्मोड़ा

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सरना से मलिहारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मलिहारी
तहसील भिक्यासैण, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु नाप भूमि, 4.984 हे०, 3.806 हे० सिविल भूमि, 0.480 हे०, वन पंचायत भूमि एवं 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.286 हे० भूमि वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मलिहारी द्वारा दिनांक 23/01/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मलिहारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.286 हे०, लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

तहसील
ग्राम सचिव

प्रधान
ग्राम प्रधान/सरपंच

प्रारूप-30.4

दिनांक 23/04/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत मालिहारी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मधुसूदन - लुहरे	मधुसूदन
2-	म. भगवतसिंह डंगवाल	भगवतसिंह
3-	म. लक्ष्मीराम कामी	लक्ष्मीराम
4-	म. रवीश सिंह सखीपा	रवीश सिंह
5-	म. लक्ष्मणसिंह डंगवाल	लक्ष्मणसिंह
6-	म. लक्ष्मण सिंह सखीपा	लक्ष्मण सिंह
7-	म. शिवसिंह	शिवसिंह
8-	म. मोहन सिंह	मोहन सिंह
9-	म. नन्दन सिंह	नन्दन सिंह
10-	म. दान सिंह	दान सिंह
11-	म. चन्दन गिरी	चन्दन गिरी
12-	म. कमल गिरी	कमल गिरी
13-	म. हरी सिंह रावत	हरी सिंह
14-	म. सुरेन्द्र सिंह वंगारी	सुरेन्द्र सिंह
15-	म. जोगासिंह	जोगासिंह
16-	म. जोगासिंह डंगवाल	जोगासिंह
17-	म. विसन राम कामी	विसन राम
18-	म. रामीराम कामी	रामीराम
19-	म. प्रताप सिंह वंगारी	प्रताप सिंह
20-	म. रामसिंह	रामसिंह
	रीमा देवी	रीमा देवी

महेश्वरी

ह0/-
ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम :- जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सरना से मलिहारी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कलीणा
तहसील भिक्वासीण, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

कलीणा

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत सरना से मलिहारी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु नाप भूमि, 4.984 हे०, 3.806 हे० सिविल भूमि, 0.480 हे०, वन पंचायत भूमि एवं 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 4.286 हे० भूमि वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कलीणा द्वारा दिनांक 23/12/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मलिहारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.286 हे०, लो०नि०वि० विभाग सल्ट (अल्मोड़ा) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

लक्ष्मीदेव
ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान/सरपंच

जहांगीर
ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत कलीणा
वि० 30 सल्ट अल्मोड़ा

प्रारूप-30.4

दिनांक 23/02/11 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कनीषा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	पहलाद सिंह	पहलाद सिंह
2	भीम सिंह	भीम सिंह
3	गोविन्द सिंह	गोविन्द सिंह
4	हरी सिंह	हरी सिंह
5	जोगा सिंह	जोगा सिंह
6	ध्यान सिंह	नीमा देवी
7	राजेश सिंह	राजेश सिंह
8	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
9	जयन्ती देवी	जयन्ती देवी
10	धवनी देवी	धवनी देवी
11	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह 21/9/11
12	हसी देवी	
13	पार्वती देवी	
14	अ	
15	हमा देवी	हमा देवी
16	रमा सिंह	रमा सिंह

हस्ताक्षर -
ग्राम प्रधान

जयन्ती देवी
ग्राम पंचायत कनीषा
पिन कोड संख्या (अल्मोड़ा)